संख्या-12/2019/139 ई-2/तेरह-2019-03/2018

प्रेषक,

कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 22 जनवरी, 2019

विषयः- निराश्रित/बेसहारा गोवंश पशुओं के भरण-पोषण हेतु प्रदेश में शराब की बिक्री पर स्पेशल फीस लगाये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी-1007/आठ-सांख्यिकी/गोवंश/सेस/2018-19, दिनांक 17.01.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है अपके उक्त पत्र दिनांक 17.01.2019 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 में समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा-ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन एवं निराश्रित/बेसहारा गोवंश के भरण-पोषण हेतु शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः-

(1) प्रदेश में स्थापित आसवनियों एवं यवासवनियों में विदेशी मदिरा (इकोनामी श्रेणी को छोड़कर)/बीयर की बोतल भराई पर निम्नानुसार स्पेशल फीस का अधिरोपण किया जाता हैः-

आसवनियों में	**एफ0एल0 3 के अन्तर्गत की गई बाटलिंग पर स्पेशल फीस की दर**	**एफ0एल0 3ए के अन्तर्गत की गई बाटलिंग पर स्पेशल फीस की दर**
700 एम0एल0 या उससे ऊपर की धारिता की बोतलों/पात्रों के लिये	रू0 3/- प्रति बोतल	रू0 3/-प्रति बोतल
375 एम0एल0 या उससे ऊपर की धारिता की बोतलों/पात्रों के लिये (700 एम0एल0 से कम)	रू0 2/-प्रति बोतल	रू0 2/-प्रति बोतल
180 एम0एल0 की धारिता की बोतलों/पात्रों अथवा उससे कम धारिता के लिये	रू0 1/-प्रति बोतल	रू0 1/-प्रति बोतल

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यवासवनियों में	एफ0एल0 3 के अन्तर्गत की गई बाटलिंग पर स्पेशल फीस की दर	एफ0एल0 3ए के अन्तर्गत की गई बाटलिंग पर स्पेशल फीस की दर
650 एम0एल0 या उससे ऊपर की धारिता की बोतलों या पात्रों के लिये	रू0 2/-प्रति बोतल	रू0 2/-प्रति बोतल
500 एम0एल0 या उससे ऊपर की धारिता की बोतलों/पात्रों के लिये (650 एम0एल0 से कम)	रू0 1/-प्रति बोतल	रू0 1/-प्रति बोतल
500 एम0एल0 की धारिता की बोतलों/पात्रों से कम धारिता के लिये	रू0 0.50/- प्रति बोतल	रू0 0.50/- प्रति बोतल

उक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की नियमावली 1969 (यथासंशोधित) का नियम 2 (4) समाप्त करने हेतु यथावश्यक प्रस्ताव/नियमावली का आलेख उपलब्ध कराया जाय।

(2) प्रदेश की इकाइयों में निर्मित मदिरा/बीयर अन्य प्रान्तों से आयातित मदिरा/बीयर से प्रतिस्पर्धात्मक रूप से महंगी न हो जाये, इस निमित्त मदिरा/बीयर की आयात परमिट फीस पर भी निम्नानुसार स्पेशल फीस अधिरोपित की जाती हैः-

मद	आयात परमिट फीस (नई आबकारी नीति में प्राविधानित)	आयात पर प्रस्तावित स्पेशलफीस
विदेशी मदिरा	रू012/-प्रति ब0ली0 (बोतलों में आयात की दशा में) रू0 5/-प्रति ब0ली0 (बल्क में आयात की दशा में)	रू0 2/-प्रति ब0ली0 (बोतलों में आयात की दशा में) रू0 1.50/-प्रति ब0ली0 (बल्क में आयात की दशा में)
बीयर	रू0 2/-प्रति ब0ली0	रू0 2/-प्रति ब0ली0
अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा	रू0 1200/-प्रति ब0ली0 (कस्टम मूल्य रू0600/-प्रति बोतल-750 एम0एल0 तक) रू0 1260/-प्रति ब0ली0 (कस्टम मूल्य रू0 600/- प्रति बोतल-750 एम0एल0 से अधिक)	रू0 20 /-प्रति ब0ली0 (कस्टम मूल्य रू0 600/-प्रति बोतल-750 एम0एल0 तक) रू0 20/-प्रति ब0ली0 (कस्टम मूल्य रू0 600/- प्रति बोतल-750 एम0एल0 से अधिक)
अन्य देशों से आयातित बीयर	रू0 170/-प्रति ब0ली0	रू0 10/-प्रति ब0ली0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के होटल एवं बार रेस्टोरेन्ट में होने वाले विदेशी मदिरा के उपभोग पर रु0 10/- प्रति बोतल तथा बीयर के उपभोग पर रु0 5/- प्रति बोतल की दर से स्पेशल फीस अधिरोपित की जाती है।

(4) शासनादेश दिनांक 25-12-2018 द्वारा वर्ष-2019-20 हेतु आबकारी नीति का प्रख्यापन हो चुका है, जिसे 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी माना जायेगा। अतः आबकारी विभाग द्वारा उक्त अतिरिक्त राजस्व संग्रहण 20 मार्च, 2019 के उपरान्त सुनिश्चित किया जाय। उपरोक्तानुसार स्पेशल फीस से प्राप्त सम्पूर्ण आय को आबकारी विभाग के राजस्व लक्ष्यों के सापेक्ष माना जायेगा।

(5) आबकारी विभाग द्वारा विदेशी मदिरा/बीयर के उपभोग में वृद्धि नई आसवनियों की स्थापना, आसवनियों की पेय क्षमता में वृद्धि वर्तमान आसवनियों में बाटलिंग भराई क्षमता में विस्तार, प्रभावी प्रवर्तन तथा ट्रैक एण्ड ट्रेस प्रणाली के प्रयोग से अतिरिक्त आबकारी राजस्व प्राप्त करने का प्रयास किया जाय।

3- कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें और स्पेशल फीस के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व का अर्जन किए जाने की प्रक्रिया तथा उसके लिए पृथक मद की व्यवस्था आदि के संबंध में अपनी आख्या/प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,
(कल्पना अवस्थी)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।